राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3997/2025

महावीर सैनी

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.08.2025
सुनवाई की दिनांक : 09.09.2025
आदेश की दिनांक : 09.09.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेंद जैन, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 28.05.2022 को पंचायत समिति कामां भरतपुर द्वारा की गई थी। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी को रा उप्रावि करमूका, ब्लॉक कामां में पदस्थापित किया गया। करमूका परिक्षेत्र में पद रिक्त होने के बावजदू भी अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.12.2024 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (एमजीजीएस) दाहना ब्लॉक पहाडी में समयोजित कर दिया गया। अपीलार्थी ने इस पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया और एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी को दी। (अनुलग्नक–3 व 4) अपीलार्थी की परिवेदना का अभी तक भी निस्तारण नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी क्रमांक 5 द्वारा आदेश दिनांक 22.07.2025 को अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, करकैन ब्लॉक नगर कर दिया गया। (अनुलग्नक–1) अधिशेष कर्मचारियों को समायोजित किये जाने हेतु नियम बनाये गये जिसके नियम 15 के अनुसार कार्मिक को उस विद्यालय में पद रिक्त होने पर उसी विद्यालय में यदि विद्यालय मे पद रिक्त ना हो तो राजस्व ग्राम में तथा राजस्व में ग्राम में पदरिक्त नहीं होन पर ग्राम पंचायत में तथा ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर उसी ब्लॉक में समायोजित किया जायेगा। समायोजन आदेश दिनांक 22.07.2025 में अन्य कार्मिक श्री रिंकू कुमार मीणा (क्रमांक 50) व श्री रामनेरश (क्रमांक 57) को जो कि अपीलार्थी से कनिष्ठ है और उनको ब्लॉक पहाडी में ही पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी कमांक 5 अपीलार्थी का स्थानान्तरण करने के लिये सक्षम नहीं क्योंकि प्रत्यर्थी कमांक 5 अपीलार्थी के न तो नियुक्ति अधिकारी है और न ही अपीलीय अधिकारी है और इस कारण आदेश

दिनांक 22.07.2025 अनुचित एवं अवैध है। आदेश दिनांक 22.07.2025 को पारित किये जाते समय जिला परिषद् की जिला स्थापना समिति के अनुमोदन किया गया है और अपीलार्थी की अभी तक भी 6 (डी) की प्रक्रिया भी नहीं हुई है। अपीलार्थी ने अपने समयोजन के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन स्थानान्तरण आदेश की पालना में प्रस्तुत की गई परन्तु अपीलार्थी की परिवेदना पर कोई विचार नहीं किया गया और अन्य कार्मिकों की परिवेदना को स्वीकार कर ली गई परन्तु अभी तक भी अपीलार्थी की परिवेदना पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। (अनुलग्नक–5) लॉक पहाडी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय उन्चकी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वदबास सतवाडी व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मांडोर में भी पद रिक्त है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.07.2025 को निरस्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष